फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

कृष्णलाल बनाम चुन्नीदेवी व अन्य

किस्म मुकदमा:–212 R.T.Act प्रकरण संख्या:– 166/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.02.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए प्रार्थी के पिता अमोलख पुत्र चोखा के नाम से पैतृक भूमि रोही भोपालपुरा के खसरा संख्या 59 में 15.19 बीघा रकबा दर्ज राजसव रिकार्ड होकर कब्जा काश्त में चली आ रही थी। यह रकबा सन् 1947 से पूर्व का राजशाही के समय का है। जैर प्रकरण रकबा प्रार्थी के पिता के जीवनकाल में उनके कब्जा काश्त में रहा व उनके स्वर्गवास के बाद में प्रार्थी व प्रार्थी के भाई अप्रार्थी संख्या 3 सुरजाराम के कब्जा काश्त में रहा है। क्त जैरप्रकरण रकबा जो खसरा संख्या 59 का था, चकबन्दी में आने के बाद चक 2 डी.ओ.(ए) के पत्थर संख्या 23/32 का किला नं. 9 ता 12, 19–20–21 सालम 7 बीघा (1.771 हैक्टा), पतथर संख्या 23/24 का किला संख्या 6 में एक बिस्वा, किला संख्या 7–13 में 2 बीघा, किला संख्या 14 में 10 बिस्वा, किला संख्या 15 में 10 बिस्वा, किला संख्या 16 में 19 बिस्वा, किला संख्या 17 में 1 बिस्वा, किला संख्या 24 में 16 बिस्वा, किला संख्या 25 में 5 बिस्वा (1.290 हैक्टर) कुल 12.02 बीघा (3.061 हैक्टर) में पैमुद हुआ। कुछ रकबा फीटिंग व सड़क आदि में चला गया। जैरप्रकरण रकबा पैतृक होने से प्रार्थी व प्रार्थी के भाई सुरजाराम अप्रार्थी संख्या 3 के जन्म लेते ही पिता के नाम की भूमि में प्रार्थी व प्रार्थी के भाई 1/3–1/3 हिस्सा के हकदार हो गये व शेष 1/3 हिस्सा में प्रार्थी के पिता हकदार है। पैतृक भूमि में से अप्रार्थीया संख्या–1 चुनीदेवी द्वारा जरिये तथाकथित बैयनामा 1/4 हिस्सा को दिनांक 20.08.2018 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को जैरप्रकरण कुल भूमि 3.0610 हैक्टर में से बेचान करके बैयनामा उप पंजीयक से गैर कानूनी रूप से पंजीयन करवा दिया। यह बैयनामा पूर्णरूप से गैर कानूनी व शूरू से ही शून्य है। अप्रार्थी संख्या–2 जो अप्रार्थीया का रिश्तें जवाई लगता है से किसी प्रकार से भूमि के बदला में लेन–देन नही हुआ है व ना ही तथाकथित बैयनामा के समय व बाद में भी कब्जा आज तक नही सौंपा गया है मौका पर कब्जा काश्त प्रार्थी का चला आ रहा है व प्रार्थी की फसल काश्त की हुई है। संयुक्त हिन्दू पैतृक भूमि में अप्रार्थी संख्या–1 का कोई हक व हिस्सा नही बनता है। अप्रार्थी संख्या–2, प्रार्थी के रकबा में घुसना चाहता है, जिसका उसे कोई अधिकार नही है। अप्राथीगण तथाकथित बैयनामा दिनांक 20.08.2018 के आधार पर रिकार्ड में अंकन व रकबा को रहन बैय आदि द्वारा खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 25.09.2018 को जारी टी0आई0 को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 1–2 ने जवाब को दोहराते हुए बताया कि जैरवाद रकबा पर समस्त काश्तकारान के अपने हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त में है। पिता की मृत्य के पश्चात् जैरवाद रकबा का विरास्तन इंतकाल दर्ज होने पर अप्रार्थी संख्या–1 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया तथा अप्रार्थी संख्या–1 ने अपने हिस्सा की भूमि का विक्रय अप्रार्थी संख्या–2 को पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर किया है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा दिनांक 12.07.2017 को करवाई हुई दस्तबरदारी कानूनन सही नही है। क्योंकि सहकाश्तकार किसी एक पक्ष में दस्तबरदारी नही करवा सकता है। अप्रार्थी संख्या–1 अपने हिस्सा का रकबा बेचान करने की अधिकारी है। रजिस्टर्ड दस्तावेज के विरूद्ध कार्यवाही माननीय सिविल न्यायालय ही कर सकती है। मात्र इन्तकाल रोकने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या–2 को रजि0दस्तावेज के पश्चात् अपनी भूमि पर हिस्सानुसार कब्जा काश्त है। अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा अपने हिस्सा की खातेदारी भूमि को बेचान किया है, जो कि कानूनी रूप से सही है। प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जावे। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किय गया। तहसील सूरतगढ़ के चक 2 डी.ओ.–ए की जमाबंदी सम्वत् 2067 ता 70 के पत्थर संख्या 23/32 (32) के किला संख्या 9 ता 12, 19 ता 21 की 1.771 हैक्टर कमाण्ड, पत्थर संख्या 23/24 (33) के किला संख्या 6/1, 7, 13,	

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
२६.02.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	14/2, 15/1, 16/2, 17/1, 24/2, 25/2 की 1.290 कुल 3.061 हैक्टर कमाण्ड भूमि अमोलख वल्द चोखा कौम बिश्नोई सा.भोपालपुरा के नाम खातेदार दर्ज था। जो बाद में विरास्तन इन्तकाल संख्या 456 दिनांक 20.07.2017 द्वारा सुरजाराम–कृष्णलाल–चुन्नीदेवी–कलावती पुत्र पुत्रीयां अमोलख जाति बिश्नोई ब.हि.ब. साकिन देह दर्ज हुआ। दस्तबरदारी इन्तकाल संख्या 457 दिनांक 20.07.2017 से उक्त रकबा कृष्णलाल वल्द अमोलख जाति बिश्नोई 3/4 हिस्सा, चुन्नी देवी पुत्री अमोलख जाति बिश्नोई 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या–1 को अपने पिता की मृत्यु उपरान्त उक्त रकबा विरास्तन प्राप्त हुआ है। अप्रार्थी संख्या–1 रिकार्डेड खातेदार अंकित है। इसलिये रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता हैं। प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र व दिनांक 25.09.2018 को जारी टी0आई0 अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सन्दीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	